हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014

भाग–एक

1 (क) **प्रस्तावना** :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान एस0एन0 महन्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनाँक 31.3.2014 को विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	5 (क)	8.66
2	विभिन्न निक्षेप कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	6	446.40
3	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	7 (क)	201.49
4	विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में वसूली शेष	8 (क)	8.70
5	पी0टी0सी0 डरोह में निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	9	8.68

6	निर्माण कार्य "C/O HRTC work shop in Tadoli, Chamba में संविदाकार को अधिक भुगतान	11	4.35
7	निर्माण कार्य "C/O ITI Building at Bangana में संविदाकार को अनियमित भुगतान	12	2.98
8	निर्माण कार्य "C/O High School under RMSA में संविदाकार को अनुचित भुगतान	14	1.61
9	धरोहर राशि को नियमों के अनुसार मण्डल की आय में लेखाकिंत न करना	21	67.82

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाई गई है। वर्ष 4/89 से 3/12 तक मण्डल से सम्बन्धित 189 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1989–90	1	आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
2	2000–01	–	
3	2003–04	1	
4	2004–05	1	
5	2005–06	8	
6	2006–07	20	
7	2007–08	6	
8	2008–09	6	
9	2009–10	20	
10	2010–11	8	
11	2011–12	31	
12	2012–13	41	
13	1996–97	11	एस0डी0ए0 उप मण्डल धर्मशाला से सम्बन्धित पैरे
14	1997–98	24	

15	1998–99	3
16	1999–2001	8
		189

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम शहरी विकास मण्डल धर्मशाला उपरोक्त शेष पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 का तक अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री पंकज भ्रारिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री बसन्त सिंह, उप निदेशक के पर्यावेक्षण में दिनांक 10.11.14 से 12.01.2015 तक धर्मशाला में किया गया। माह 03/2014 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफ मे दर्शाए गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा–परीक्षा में उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थितिः–

दिनांक 31.03.14 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। वित्तीय स्थिति का अन्तशेष सहित विवरण संलग्न **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

माह	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
अप्रैल	17032189.55	8324956	25357145.55	11807312	13549833.55
मई	13549833.55	5056708	18606541.55	11642214	6964327.55
जून	6964327.55	6182350	13146677.55	8938935	4207742.55
जुलाई	4207742.55	13073097	17280839.55	11387587	5893252.55
अगस्त	5893252.55	11617410	17510662.55	15448596	2062066.55
सितम्बर	2062066.55	62559968	64622034.55	35580322	29041712.55
अक्तूबर	29041712.55	25550755	54592467.55	16229924	38362543.55
नवम्बर	38362543.55	2859708	41222251.55	10032702	31189549.55
दिसम्बर	31189549.55	3794792	34984341.55	16276477	18707864.55
जनवरी	18707864.55	20256829	38964693.55	17647356	21317337.55
फरवरी	21317337.55	4574130	25891467.55	14935571	10955896.55
मार्च	10955896.55	12451021	23406917.55	14351362	9055555.55

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही एवं विभिन्न बैंकों की पास बुकों का अन्तिम शेष इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता सं0	बैंक में 31.3.14 को शेष राशि	रोकड़ वही में 31.3.14 को शेष	अन्तर
1	नकद राशि	–	–	45048	–
2	State bank of Patiala	–	5903	5903	–
3	Punjab National Bank	3373002100023123	6786931	4848444	1938487
4	U.C.O. Bank	11510200000436	6446593.35	1445825.35	5000768
5	K.C.C. Bank	50054718380	1911208.50	1952308.50	41100

6	Canra Bank	5458	211468	211637	169
7	S.B.I.	30404694305	566469.70	546389.70	20080
				9055555.55	

दिनांक 31.3.14 को रोकड़ वही एवं पास बुक के अन्तशेष में पाए गये अन्तर के कारण एवं मिलान इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** में प्रत्येक बैंक खाते की बैंक समाधान विवरणी में किया गया है।

(क) ₹880/– के जारी चैक वैधता निधि के पश्चात कालातीत होने पर वापिस रोकड़ बही में लेखाकिंत न करनाः–

रोकड़ बही व बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि हिमुडा मण्डल धर्मशाला के यूको बैंक खाते से चैकों द्वारा भुगतान किया गया था परन्तु इन चैकों को अंकेक्षण अवधि तक भुनाया नहीं गया था। यह सभी चैक अब कालातीत हो चुके है। अतः सम्बन्धित बैंकों से नियमानुसार मामला उठाकर एवं समायोजन के पश्चात चैकों की राशि को पुनः सम्बन्धित खाते की प्राप्ति शीर्ष में लिया जाना सुनिश्चित करे। इस प्रकार के चैकों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	चैक संख्या	राशि	बैंक व खाता संख्या
1	292241 दिनाँक 23.5.12	530	यूको बैंक खाता संख्या 11510200000436
2	771093 दिनाँक 10.09.13	350	–यथोपरि–

(ख) बैंक द्वारा ₹54554/– हिमुडा मण्डल धर्मशाला के खातें में जमा न करनाः–

बैंक समाधान विवरणी की जाँच के दौरान पाया कि हिमुडा धर्मशाला द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला में निम्नलिखित चैक/ड्राफ्ट, खाता संख्या 20075000516 में जमा करवाये गये थे लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि बैंक द्वारा मण्डल खाते में जमा नहीं की गई है। अतः मामला सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धन से समायोजन हेतु उठाया जाये तथा बैंक द्वारा कम जमा राशि को ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि इस राशि को हिमुडा मण्डल की गतिविधियों हेतु उपयोग में लाया जा सके। यह आपत्ति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2012–13 के पैरा संख्या 4 (क) में भी उठाई

गई थी लेकिन इसके समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः शीघ्र इस पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चैक/ड्राफ्ट संख्या	राशि
1	454891 दिनाँक 14.9.12	500
2	669190 दिनाँक 17.01.09	54054

5 **(क) विविध अग्रिम ₹865875.91 समायोजन हेतु शेष :–**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के खातों में दिनांक 31.03.14 को मिश्रित अग्रिम ₹865875.91 समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ग'' में दर्शाया गया है। अतः मण्डल इस राशि के समायोजन हेतु उचित कदम उठाए ताकि मण्डल के खातों में अग्रिम की राशि को शून्य किया जा सके।

(ख) अन्य अग्रिम राशियाँः–

दिनाँक 31.03.14 को मण्डल के लेखों के अनुसार निम्न अन्य अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी।

क्र0सं0	अग्रिम विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	वेतन अग्रिम	शून्य	–
2	आवास निर्माण अग्रिम	45346	परिशिष्ट "घ"
3	गर्म वस्त्र अग्रिम	47162	परिशिष्ट "ङ"
4	स्टॉफ अग्रिम	408938	परिशिष्ट "च"

उपरोक्त अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि स्टाफ अग्रिम का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित होता है लेकिन निम्न कर्मचारियों के खातों में दिनाँक 31.3.14 तक अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	31.3.14 का समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	श्री के0के0 सूद, सहायक अभियन्ता	2637
2	श्री आर0सी0 भाटिया, सहायक अभियन्ता	4460
3	श्री पी0के0 सूद, सहायक अभियन्ता	97500

4	श्री रमेश कुमार, ड्राईवर	69466
5	श्री काँशी राम, क्लर्क	130
6	श्री संजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	105118
7	श्री प्रदीप जसवाल, कनिष्ठ अभियन्ता	100000
8	श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	5573
9	श्री जितेन्द्र पूरी, कनिष्ठ अभियन्ता	35000
10	श्री अनूप सूद, कनिष्ठ अभियन्ता	60
11	श्री सुरेन्द्र कुमार,	9000
12	श्री दिनेश कुमार, ड्राईवर	5000
13	श्री अजय, कनिष्ठ अभियन्ता	3175
14	श्री कैलाश चन्द, क्लर्क	4486
15	श्री कश्मीरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता	57

अतः उपरोक्त अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) ₹274584/– को हस्तगत रखकर अस्थाई दुर्विनियोजनः–

धर्मशाला मण्डल के वर्ष 2013–14 के स्टॉफ अग्रिम रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल/अवलोकन में पाया गया कि श्री रमेश कुमार, ड्राईवर श्री संजय कुमार कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री प्रदीप जसवाल, कनिष्ठ अभियन्ता के खातों में दिनाँक 31.3.14 को इनके पास हस्तगत राशि क्रमशः ₹69466/–, ₹105118 एवं ₹100000/– दर्शाई गई थी। उपरोक्त कर्मचारियों को यह राशियाँ कार्यालय के विभिन्न कार्यों एवं गाड़ी की मुरम्मत/रख–रखाव व डीजल इत्यादि के लिए समय–2 पर अस्थाई अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी जिन्हें हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एक माह की अवधि के भीतर समायोजित करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रावधानों/नियमानुसार अस्थाई अग्रिमों को एक माह के भीतर समायोजन न करवाकर हस्तगत ही रखा गया था। कर्मचारियों के खातों में वर्ष 2013–14 में प्रत्येक माह के अन्त में धर्मशाला मण्डल के अभिलेखों में हस्तगत दर्शाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

(i) श्री रमेश कुमार, ड्राईवर

माह	प्रारम्भिक शेष	अस्थाई अग्रिम प्राप्ति	समायोजित राशि	अन्तिम शेष
अप्रैल, 2013	42200	4000	13315	32885
मई, 2013	32885	7000	1500	38385
जून, 2013	38385	8000	14665	31720
जुलाई, 2013	31720	12000	1500	42220
अगस्त, 2013	42220	8000	1500	48720
सितम्बर, 2013	48720	18000	19868	46852
अक्तूबर, 2013	46852	8000	18886	35966
नवम्बर, 2013	35966	3000	1500	37466
दिसम्बर, 2013	37466	11000	1500	46966
जनवरी, 2014	46966	10000	1500	55466
फरवरी, 2014	55466	5000	1500	58966
मार्च, 2014	58966	12000	1500	69466

(ii) श्री संजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता

माह	प्रारम्भिक शेष	अस्थाई अग्रिम प्राप्ति	समायोजित राशि	अन्तिम शेष
अप्रैल, 2013	40000	—	—	40000
मई, 2013	40000	35000	—	75000
जून, 2013	75000	—	—	75000
जुलाई, 2013	75000	30000	—	105000
अगस्त, 2013	105000	—	—	105000
सितम्बर, 2013	105000	—	—	105000
अक्तूबर, 2013	105000	—	34882	70118
नवम्बर, 2013	70118	—	—	70118
दिसम्बर, 2013	70118	15000	—	85118
जनवरी, 2014	85118	20000	—	105118

फरवरी, 2014	105118	–	–	105118
मार्च, 2014	105118	–	–	105118

(iii) श्री प्रदीप जसवाल, कनिष्ठ अभियन्ता

माह	**प्रारम्भिक शेष**	**अस्थाई अग्रिम प्राप्ति**	**समायोजित राशि**	**अन्तिम शेष**
अक्तूबर, 2013	0	–	–	100000
नवम्बर, 2013	100000	–	–	100000
दिसम्बर, 2013	100000	–	–	100000
जनवरी, 2014	100000	–	–	100000
फरवरी, 2014	100000	–	–	100000
मार्च, 2014	100000	–	–	100000

उपरोक्त विवरण स्वतः स्पष्ट करता है कि उपरोक्त कर्मियों द्वारा राशि का अस्थाई रूप में दुर्विनियोजन किया गया था तथा मण्डल कार्यालय/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भी नियमानुसार अनियमित रूप से हस्तगत रखी जा रही राशियों की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती। अतः उपरोक्त कर्मचारियों के अस्थाई अग्रिम राशियों के लम्बे समय तक समायोजित न करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व हस्तगत दर्शाई गई शेष राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 **विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यो पर दिनांक 31.3.14 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹446.40 लाख की वसूली शेषः–**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.14 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹446.40 लाख वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है।

डिपाजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमुडा स्वयं उच्च दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य करता है। अतः अनियमितता हिमुडा प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती

है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा को डिपाजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से पूर्णतया रोका जा सके। उपरोक्त वर्णित अधिक व्यय की राशि की वसूली सम्बन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करें।

7 **(क) रख–रखाव प्रभार के ₹20148659/– दिनांक 31.3.14 तक वसूली हेतु शेषः–**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय कलौनियों से सम्बन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों से दिनांक 31.3.14 तक ₹20148659/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का कलौनी वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.14 को वसूली योग्य राशि
1	आवासीय कलौनी देहरा, जिला काँगड़ा	धर्मशाला–I	671303
2	आवासीय कलौनी काँगड़ा	धर्मशाला–I	2576362
3	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला–II	352665
4	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला–II	94066
5	आवासीय परिसर होल्टा	पालमपुर	6098614
6	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पालमपुर	293454
7	आवासीय कलौनी लोहना	पालमपुर	101687
8	आवासीय कलौनी रक्कड़ ऊना	ऊना	9854517
9	आवासीय कलौनी बंगाणा ऊना	ऊना	105991
		कुल	**20148659**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रख–रखाव प्रभार की वसूली ठीक ढ़ंग से नहीं की जा रही है और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाए जा रहे है। परिणामस्वरूप वर्ष 2013–14 में यह राशि वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹1779907/– से बढ़कर ₹20148659/– पहुँच गई है। अगर उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई उचित कदम न उठाएं गये तो इस राशि की वसूली करना मुश्किल हो जायेगा। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) ₹5052827/– का रख–रखाव प्रभार के रूप में कम माँग करनाः–

अंकेक्षण क दौरान पाया कि निम्नलिखित करदाताओं से कर की कम माँग की गई थी। अतः खातावहियों में इनकी सही राशि लिखकर संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक कर दाता की सही कर की गणना करना भी सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	करदाता का नाम	कलौनी का नाम	घर संख्या	अपेक्षित माँग	माँग की गई राशि	कम माँग
1	XEN, HPPWD UNA	ऊना	9, 10, 19, 20, 23, 24, 29, 30	3851312	358935	3492377
2	XEN, HPPWD (B & R) UNA	ऊना	HIG (H) 91 to 110, 116 to 129	1708926	178926	1530000
3	Dr. Saroj	बंगाणा	HIG (P) 6	7862	5693	2169
4	Sh. R.P.S. Katwal	होल्टा	HIG, H No. 46	462856	432406	30450
					कुल	**5052827**

8 **(क) <u>विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में ₹869886/– दिनांक 31.03.14 तक वसूली हेतु शेषः–</u>**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों के जल उपभोक्ताओं से दिनांक 31.3.14 तक ₹869886/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का परिसर वार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	परिसर का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.14 को वसूली योग्य राशि
1	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला–II	579618
2	आवासीय कलौनी काँगड़ा	धर्मशाला–I	72259

3	आवासीय कलौनी लोहना	पालमपुर	29601
4	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पालमपुर	23700
5	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला–II	29330
6	आवासीय परिसर रक्कड़	ऊना	130309
7	आवासीय परिसर बंगाणा	ऊना	5069
		कुल राशि	**869886**

अतः शेष जल प्रभार की राशि ₹869886/–' की वसूली के लिए मण्डल समुचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

(ख) ₹9000/– का जल प्रभार के रूप में कम माँग करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नलिखित करदाताओं जल प्रभार की कम माँग की गई थी। अतः खाता बहियों में इनकी सही राशि लिखकर संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक कर दाता की सही कर की गणना भी सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	**करदाता का नाम**	**कलौनी का नाम**	**घर संख्या**	**अपेक्षित माँग**	**माँग की गई राशि**	**कम माँग**
1	श्री गोपाल चन्द	काँगड़ा	HIG (F) No. 17	5970	5850	120
2	श्री मोहन लाल	काँगड़ा	HIG (II) 9-B	3731	3203	528
3	श्री हरीश कुमार	काँगड़ा	HIG Flat No. 21	963	शून्य	963
4	श्री हरीश कुमार	काँगड़ा	HIG Flat No. 32	1433	शून्य	1433
5	श्री संजीव कुमार	काँगड़ा	HIG (F) No. 29	528	480	48
6	श्री डब्लयू0आर0 धीमान	ऊना	HIG No. 48 Ph III	5908	शून्य	5908
			कम माँग की गई राशि			**9000**

9 ₹867825/– का संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः–	C/O Police building under modermisation of police force SH C/O 1 No. Police barrack including kitchen block for 100 police personnel at P.T.C. Daroh (Major work)
Estimated Cost	₹30565033
Award Amount	₹30260005/- Civil work ₹28397024/- (5-67% below) WS & SI ₹1862981/- (304.02% above)
Awaed letter No.	HIMUDA/DD (CB) W-7/2010/6337-45 dated 03.01.2012
Agreement No.	51 of 2011-12
Name of Contractor	Sh. Pawan Kumar
Measurement Books	1712, 1713, 1714

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जाँच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) मद संख्या 61, Steel work welded in build up section trusses and frame work में ₹8216/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1713 की रिकार्ड प्रविष्टियों के निरीक्षण में पाया कि उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलित बिल की मद संख्या 61, Steel work welded in build up section trusses and frame work में ISLC 75x40MM रनिंग मीटर को किलोग्राम में बदलते समय 5.80 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि उचित गणना 5.70 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। अतः निम्नविवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगाने के फलस्वरूप 117.37 कि0ग्रा0 अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹70/– प्रति कि0ग्रा0 के दर से ₹8216/– का अधिक भुगतान किया गया थाः–

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (5.80 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (5.70 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1713 पृष्ठ 39	1173.73 Rmt x 5.80 =6807.63 Kg	1173.73 RMT x5.70=6690.26 Kg	117.37 Kg

इसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461 दिनाँक 04.12.14 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit file/2013-14/4929 दिनाँक 06.01.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य के चतुर्थ चलित बिल से माप पुस्तिका 1714 के पृष्ठ 61 में ₹8216/– की वसूली संविदाकार से कर ली गई है एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति अमल में न लाई जाये।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹8791/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोरसमैन्ट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि उचित गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्नविवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 187.05 कि0ग्रा0 अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹47/– प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹8791/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1712 पृष्ठ 47	37111.18 RMt x0.395=14658.91 Kg	37111.18 RMt x 0.39=14473.36 Kg	185.55 Kg
1712 पृष्ठ 48	299.92 RMt x0.395=118.47 Kg	299.92 RMT x0.39=116.97 KG	1.50 Kg
		कुल	**187.05 Kg**

(ग) ₹850818/– का संविदाकार को अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में उपरोक्त कार्य की न्यायसंगत दरो ंकी जाँच के दौरान पाया गया कि कार्य को संविदाकार के पक्ष में अवार्ड के समय मुख्य मदो ंकी न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरो ंसे अधिक दरें अनुमोदित करके

संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की विभिन्न मदों की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹850818/– का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं जाँच पड़ताल करके उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करना भी सुनिश्चित करें। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद संख्या	अनुमानित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अधिक सम्भावित भुगतान
1	5 (f) Beam, Cantilivers, girders and lintels rides etc	947.63m2	191.20	220	27291
2	(9) Appliying a coat of hot bitumen	207.76m2	88.60	150	12756
3	(10) P/L 1:2:4 20MM nominal size	4.83m3	4840.30	7000	10431
4	12 (c) P/L Mechanically mixed vibrated	20.72m3	3312.60	3400	1811
5	(13) P/L CC 1:2:4 Reinforced concrete chajjas	33.57m3	7359	9500	71873
6	(15) Applying cement sbery on RCC slab	3705.68 m2	17.10	18	3335
7	(22) Half brick masonary using 2nd class common brunt	2606.73m2	538.70	550	29456
8	(30) P/F 19 mm thick block board shutter for cup board	282.52m2	1173.10	1600	120608
9	35 (b) P/F Plain square edged	2289.40Rmt	76.90	80	7097

	50x12mm				
10	37 (b) P/F anodized aluminium sliding door bolts 250x16mm	193 Nos	161.30	280	22909
11	(52) P/F white marble stips 40mm	2555.50 Rmt	42.70	50	18655
12	(53) Painting top of roof with bitumen of approved quality	543.79m2	99.80	150	27298
13	60 (a) steel work welded in build up section in beam joist, channels, angle	92.90 Qtl	6577.40	7000	39260
14	(64) Painting (excluding printing coat) on new steel	1336.60 m2	46.30	50	4945
15	(65) Applying printing coat over new wood	5113.19m2	23.70	30	32213
16	(66) painting (excluding priming coat) on wood	5113.19m2	46.90	55	41417
17	(67) Applying Birla white putty	6250.82m2	30.60	40	58758
18	(68)6MM cement plaster 1:3	2177.96m2	58.90	90	67735
19	(69) 15mm cement plaster 1:6	2036.43m2	87.60	100	25252
20	(74) Distempring (two coat) with oil bond distemper	4072.88m2	45.70	60	58242
21	(76)Finishing wall	4848.44 m2	38.22	50	57115

	with water proofing cement paint				
22	WS & ST	515.50Rmt	156.70	200	22321
	(1) P/F to wall ceiling & floors (i) 15mm Nominal size (ii) 20mm Nominal size	181.20 Rmt	209.60	250	7320
23	(4) P/F Poly there water storage tank	8 Nos	10000	16000	48000
24	(6) P/F sand Cast iron spum (i) 75MM Nominal size	526 Rmt	573.50	600	13939
25	(24) P/F vitorous china division plate	54 Nos	953.40	1300	18716
26	(25) Construction of Soak pit 2.5 Mtr	1 Nos	7935	10000	2065
					850818

(घ) अनुबन्ध की Clause–2 के अनुसार कार्यवाही न करने बारेः–

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनाँक 18.01.13 तक का समय दिया गया था जबकि दिनाँक 31.03.14 तक कार्य प्रगति पर था एवं संविदाकार ने कार्य विस्तार हेतु साधारण कागज पर बिना किसी ठोस कारणों का वर्णन किए निवेदन किया था एवं विभाग द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/AB/Memo file/2010/108-09 दिनाँक 29.04.14 द्वारा बिना किसी कारण के संविदाकार को दिनाँक 31.3.14 तक कार्य विस्तार देकर अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जबकि अनुबन्ध की क्लॉज–2 क अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अनुबन्ध की क्लॉज के अनुसार यदि संविदाकार आंबटित समय में कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो अनुमानित टैण्डर राशि का 10**%** भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था अर्थात उक्त कार्य की टैण्डर राशि ₹30260005/– का 10**%** जो ₹3026000/– बनता है परन्तु हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को ₹3026000/– का अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिसके सम्बन्ध में

वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(ङ) अनुबन्धित मद "Cutting in earth work" का निष्पादन न करने बारेः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के टैण्डर में मद "Cutting in earth work" मात्रा 16322.99m3 के निष्पादन हेतु दरें आमन्त्रित की गई थी जिसके लिए संविदाकार श्री पवन कुमार ने ₹40/– per m3 की दर भरी थी जबकि इस मद की न्यायसंगत दर ₹155/– per m3 थी अर्थात संविदाकार को इस मद के लिए बहुत कम दरें भरी थी लेंकिन इस मद का निष्पाद द्वितीय चलित बिल तक नहीं किया गया था जबकि कार्य का 90**%** भाग सम्पूर्ण हो चुका है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को भली भान्ति ज्ञात था कि इस मद का निष्पादन कार्य में नहीं किया जाना है। अतः संविदाकार ने इस मद की न्यूनतम दर भरी ताकि कार्य का आबंटन उसी के पक्ष में हो सके। इस प्रकार संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। इस अनियमितता की सूचना अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461 दिनाँक 04.12.14 द्वारा दी गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस मद के निष्पादन हेतु दरें आमन्त्रित करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

10 ₹2189/–का संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O ITI Building at Dadasiba SH: Pvd paving penelling, drain back side of building

अनुमानित राशि ₹191065/– vide letter No. HIMUDA/DB/ITI Dadasiba/12-1089 dated 30.5.13

आबंटित कार्य राशि ₹252462/– vide letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2012/3011-18 dt. 23.08.13 on 32.13% above HPSR-2009

न्याय संगत दरें 42.86% above HPSR-2009

संविदाकार का नाम Sh. Om Parkash Sharma

चलित बिल प्रथम एवं अन्तिम बिल

वाउचर संख्या 59 माह मार्च 2014

माप पुस्तिका 1483

उपरोक्त कार्य की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) मद संख्या 2 "Steel work welded in built up section" में ₹2189/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1483 में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच के दौरान पाया कि मद संख्या 2 "Steel work welded in built up section" की कुल मात्रा 3x3x1.5=13.5 Rmt उपरोक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ 15 में रिकार्ड की गई थी एवं इस मात्रा को किलोग्राम में बदलते समय 6.80 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाया गया था जबकि मानकों के अनुसार यह फैक्टर 4.50 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर लगाया जाना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 30.40 कि0ग्रा0 मात्रा का (91.80Kg-60.75-0.65Kg) ₹72 प्रति किलोग्राम की दर से माप पुस्तिका 1483 पृष्ठ 16 में ₹2189/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनाँक 02.12.14 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को दी गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(ख) धरोहर राशि के रूप में ली गई सावधि जमा की रसीद प्रस्तुत न करने बारेः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल से धरोहर राशि की वसूली संविदाकार के बिल से नहीं की गई थी एवं माप पुस्तिका 1483 में धरोहर राशि के रूप में सावधि जमा रसीद संख्या 6436728 दिनाँक 12.3.14 ₹21344/– ली गई दर्शाई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा रसीद आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

11 ₹435079/–का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O HRTC work shop in tadoli chamba

अनुमानित राशि ₹6424680 vide letter No. HIMUDA/CE (DB)/HRTC works/D/Shala Division /II-Vol-II dated 10.2.11 civil ₹6396526 WS & SI ₹28154

आंबटित कार्य राशि ₹6761304 vide letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2010/8511-19 dated 19.03.11 civil 6681/79/.00

	4.45% above HPSR-2009WS & SI 79513 189.73 % above
न्यायसंगत दरें	Civil 2.88% above WS & SI 189.73% above
संविदाकार का नाम	श्री कमल कुमार
चलित बिल	चतुर्था चलित बिल
वाउचर संख्या	115 माह 03/2014
एग्रीमैन्ट नं0	39 ऑफ 2010–11
माप पुस्तिका	1611, 1657

उपरोक्त कार्य की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरो पर कार्य आंबटन करने के फलस्वरूप ₹100425/– की वित्तीय हानिः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के सिविल भाग की न्यायसंगत दर एचपीएसआर–2009 के आधार पर 2.88**%** प्रीमियम थी जबकि कार्य का आंबटन 4.45**%** प्रीमियम पर किया गया था अर्थात कार्य का आंबटन करते समय कार्य की न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज करके अत्याधिक दरों पर कार्य का आंबटन कर दिया गया था जिस कारण से विभाग को लगभग ₹100425/– ही हानि हुई क्योंकि न्यायसंगत दरों से अधिक दरो ंपर कार्य का आंबटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 467 दिनाँक 09.12.14 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को कहा गया था लेकिन कोई कार्यवाही न करने पर स्पष्ट है कि कार्य का आंबटन संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु ही अत्याधिक दरो ंपर आंबटित किया गया था।

(ख) समझौता वार्ता (Negotiation) न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹287311/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदो की दरें न्यायसंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरों को कम करने के लिए समझौता

वार्ता की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹287311/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये कि निम्न मदों की दरो को कम करने के लिए नेगोशियसन क्यों नहीं की गई अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद संख्या	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें (₹)	भुगतान की गई दरें (₹)	अनुचित लाभ (₹)
1	(2) Filling in plinth with sand under floor	116.32m2	691.70 per m2	720 per m2	3292
2	(5) form work (b) Flat surface	131.81 m2	231.95 per m2	243.65 per m2	1542
3	(5) (c) vertical surface	125.40 m2	155.75 per m2	160 per m2	533
4	(6) P/L CC 1:4:8	49.48 m3	2567.10 per m3	2600 per m3	1628
5	(7) P/L CC 1:2:4	20.41 m3	3347.05 per m3	3400 per m3	1081
6	(8) P/L CC 1:6:12	79.67 m3	2264.40 per m3	2300 per m3	2836
7	(10) Pvd for steel	6330 Kg	46.40 per Kg	47 Per Kg	3798
8	(12) brick work using 2nd Class	174.71 m3	4204.10 per m3	4500 per m3	51697
9	(19) P/F M.S. Grills	459.60 Kg	67.05 per Kg	70 per KG	1356
10	(24) Precast terrazoo tiles	66.31 m2	803.60 per m2	850 per m2	3077
11	(30) P/F MS.BP Sheets	451.60 m2	1234.50 per m2	1250 per m2	7000
12	(31) Steel work welded in buildup section	508.58 qtl (executed up to 4th running	6361.70 per qtl	6700 per qtl	172053

	(a) in beams, joist channel, angle	bill)			
13	(31) (b) in grating framed guard	20.30qtl	6680.65 per qtl	7000 per qtl	6483
14	(43) 15MM cement plaster	812.63 m2	84 per m2	100 per m2	13002
15	(44) 20MM cement plaster	812.63 m2	109.80 per m2	129 per m2	15602
16	(47) Finsing wall with water proofing cement paint	706.26 m2	31.70 per m2	35 per m2	2331
				कुल राशि	**287311**

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 467 दिनाँक 09.12.14 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए ही कार्य का आंबटन न्यायसंगत दरों से अधिक दरों पर किया गया था। यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) मिट्टी की खुदाई (cutiingin earth work) में निकले आरडिनरी क्वारिड स्टोन (ordinary quarried stone) की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹47343/– की वित्तीय हानिः–

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान अनुबन्धित मद "Cutting in earth work" में 1295m3 मिट्टी की खुदाई हेतु ₹132090/– का भुगतान संविदाकार को किया गया था। जाँच में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार को पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग आरडिनरी क्वारिड स्टोन/पत्थरों के रूप

में लिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 1295m3 का 10**%** भाग जो 129.5 घन मीटर बनता है। उपरोक्त प्रकरण में निम्नविवरणानुसार हानि हुई हैः–

एच0पी0एस0आर0 2009 अनुसार आर्डिनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/– प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 4.45**%** कुल दर प्रति घन मीटर 350+4.45**%**=365.58

इस प्रकार 129.50 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य 129.50x365.58=47343 की वित्तीय हानि हुई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एव ंउचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(घ) उक्त कार्य के चतुर्थ चलित बिल तक अवार्ड मूल्य से ₹2201356/– (32.56%) का अधिक भुगतान करने बारेः–

उपरोक्त कार्य के अवार्ड पत्र की शर्त के अनुसार स्पष्ट किया गया था कि कार्य की प्रमात्रा के विचलन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा शिमला की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित नहीं किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि उक्त कार्य के अवार्ड मूल्य ₹6761304/– के स्थान पर कुल ₹8962660/– की राशि खर्च की जा चुकी है जिसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अतः जिसका औचित्य उपरोक्त आंबटन पत्र की शर्तों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये एवं उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं खर्चे की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(ङ) कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित अवधि में सम्पन्न न करने बारेः–

उपरोक्त कार्य के आंबटन पत्र की शर्तों के अनुसार कार्य का पूर्ण निष्पादन दिनाँक 03.01.2012 तक किया जाना चाहिए था लेकिन जाँच में पाया कि दिनाँक 31.03.14 तक कार्य प्रगति पर था। अतः संविदाकार द्वारा समय पर कार्य समाप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी एवं समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण सम्बन्धित विभाग इसकी सेवाएं लेने से वंचित रहा। अतः अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

12 ₹298263/– का संविदाकार को सम्भावित अधिक/अनियमित भुगतानः–

कार्य का नाम	C/O ITI Building at Bangana Distt Una (H.P.) including internal water supply & sanitary installation
संविदाकार का नाम	मैसर्ज सुभाष सी0 कुमार
अनुमानित राशि	₹13388591/– vide letter No. HIMUDA/DB/ITI/COE/D/shala/08/Vol-I dated 07.11.09
आंबटित कार्य राशि	₹22277212/– vide letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/7913.20 dated 25.02.10, civil 65.42% above WS & SI 155.62% above
अनुबन्ध संख्या	44 ऑफ 2009–10
न्यायसंगत दरें	Civil 92.49% above WS & SI 190.96% above
वाउचर संख्या	37 ऑफ 03/2014
चलित बिल	चतुर्थ चलित बिल
माप पुस्तिका	1566, 1700

उपरोक्त कार्य के चतुर्थ बिल में निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गईः–

(क) समझौतावार्ता (Negotiation) न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹298263/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदों की दरें न्यायसंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरो को कम करने के लिए समझौता वार्ता की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹298263/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था एवं ऐसी माँग की दरों को कम करने के लिए Negotiation की गई थी जिनका निष्पादन कार्य में नाम मात्र किया जाना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये कि निम्न मदों की दरों को कम करने के लिए नेगोशिएसन क्यों नहीं

की गई अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदो ंका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	मद संख्या	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान की गई दरें	अनियमित भुगतान (₹)
1	(21) P/F 40mm thick single/doube leaf paneled/Glazed window shutter made of 2nd Class deodar wood	514.24m2	1560.95 per m2	1862 per m2	154812
2	(23) P/F 19 mm thick block board shutter for cup board	17.96m2	556.45 per m2	1176 per m2	11127
3	(36) P/F decocil ceiling	165.64m2	590.60 per m2	784 per m2	32035
4	(49) P/F on wall face C.I. rain water pipe	205.64 Rmtr	530.65 per Rmtr	588 per Rmt	11793
5	(65) 6MM cement plaster	2899.25 m2	54.10 per m2	73.50 per m2	56245
6	(70) Finishing wall with water proofing cement paint	3101.04m2	38.60 per m2	49 per m2	32251
			कुल राशि		**298263**

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 460 दिनाँक 03.12.14 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए ही कार्य का आबंटन न्यायसंगत दरों से अधिक दरो ंपर किया गया था। अतः उपरोक्त मदों की दरें कम करने के लिए नेगोशिएसन न करने का औचित्य स्पष्ट करें। यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता हैं।

(ख) अनुबन्धित मद "P/L CC 1:2:4 Reinforced concrete chajjas not exceeding 10cm" का निष्पादन न करने बारेः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के टेण्डर में मद संख्या 11 "P/L CC 1:2:4 Remtorced concrete chajjas not exceeding 10 cm" मात्रा 41.69 एम3 के निष्पादन हेतु दरें आमन्त्रित की गई थी जिसके लिए संविदाकार ने ₹2600/– per m3 की दर भरी थी जबकि इस मद की न्यायसंगत दर ₹7716.05 per m3 थी अर्थात संविदाकार ने इस मद के लिए बहुत कम दरें भरी थी लेकिन इस मद का निष्पादन चतुर्थ चलित बिल तक नहीं किया गया था जबकि कार्य का 80% भाग सम्पूर्ण हो चुका है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को भलीभान्ति ज्ञात था कि इस मद का निष्पादन कार्य में नहीं किया जाना है। अतः संविदाकार ने इस मद की न्यूनतम दर भरी ताकि कार्य का आंबटन उसी के पक्ष में हो सके। इस प्रकार संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। इस अनियमितता की सूचना अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 460 दिनाँक 03.12.14 द्वारा दी गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस मद के निष्पादन हेतु दरे आमन्त्रित करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इस प्रकार अनियमितता की पुनरावृति न की जाये।

(ग) संविदाकार को कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु समय का विस्तार (Extension of time) प्रदान किए बिना अनाधिकृत तरीके से कार्य करवाने बारेः–

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पूर्ण निष्पादन दिनाँक 11.03.11 तक किया जाना अपेक्षित था लेकिन जाँच में पाया कि दिनाँक 31.3.14 तक कार्य अभी प्रगति पर था एवं संविदाकार को कार्य के निष्पादन हेतु समय का विस्तार (Extension of time) प्रदान नहीं किया गया था अर्थात संविदाकार को किया गया भुगतान अनुचित एवं अनाधिकृत था। अतः बिना समय विस्तार प्रदान किए संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

13 <u>₹11430/–का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–</u>

निर्माण कार्य का नाम Replacing of ACC sheets roofing in to prepainted steel sheets roofing of MIG house No. 78, XEN Residance at chilgari (Dharmshala)

अनुमानित राशि	₹159371/– vide letter No. DD/HIMUDA/DB/SHC/DMA/12.2314.15 dated 29.05.12
आंबटित कार्य राशि	₹135204.95 vide award letter No. HIMUDA/DD/CB/w-7/2012/4434-41 dated 07.09.12 on 15.16.% below
संविदाकार का नाम	श्री कुलदीप मैहरा
चलित बिल	द्वितीय एवं अन्तिम बिल
वाउचर संख्या	98 ऑफ 03/2014
अनुबन्ध संख्या	18 ऑफ 2012–13
माप पुस्तिका	1445, 1450

उपरोक्त कार्य की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गईः–

(क) अनुबन्ध की क्लॉज–17 में निर्धारित अवधि से पूर्व जमानत राशि लौटाने के फलस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभः–

उपरोक्त निर्माण कार्य को संविदाकार ने दिनाँक 02.09.13 को पूर्ण कर दिया था एवं इस निर्माण कार्य में संविदाकार से जमानत के रूप में रखी गई राशि अनुबन्ध की क्लॉज–17 के अनुसार दिनाँक 02.03.14 को देय थी ताकि इस अवधि के दौरान कार्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो उस राशि से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। लेकिन यह जमानत की राशि ₹11430/– संविदाकार को दिनाँक 24.9.13 को चैक संख्या 771094 द्वारा माप पुस्तिका 1445 पृष्ठ 45 में भुगतान कर दी गई थी जोकि नियमों के अनुसार न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत की राशि को समय से पूर्व लौटाने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा संविदाकार को प्रदान किया गया अनुचित लाभ के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को दोहराने से परिहार किया जाये।

(ख) संविदाकार को कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु समय का अनियमित विस्तार प्रदान करने बारेः–

उपरोक्त कार्य का सम्पूर्ण निष्पादन दिनाँक 21.10.12 तक किया जाना अपेक्षित था जबकि संविदाकार द्वारा कार्य को दिनाँक 02.09.13 को पूर्ण किया था जाँच में पाया कि संविदाकार द्वारा कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनाँक 21.10.12 से 02.09.13 तक के कार्य विस्तार हेतु आवदेन किया गया था एवं कार्य के निष्पादन में देरी के लिए निम्न कारण वर्णित किए थेः–

(i) Due to heary rain

(ii) Due to shortage of labour

एवं कार्य विस्तार के आवदेन को कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित कारणों को उचित बताकर समय विस्तार हेतु आवेदन को अधीक्षक अभियन्ता के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया था।

अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(1) समय विस्तार के अवोदन में संविदाकार द्वारा वर्णित कारण सही प्रतीत नहीं होते है क्योंकि

(i) दिनाँक 21.10.12 से 02.09.13 तक की इतनी लम्बी अवधि तक लगातार वर्षा रहने का कारण तर्कसंगत नहीं है।

(ii) उपरोक्त कार्य की अनुमानित राशि ₹159371/– थी। अतः कार्य की मात्रा के हिसाब से Shortage of labour का कारण भी उचित नहीं था।

अतः विभाग के अधिकारियों द्वारा कारणों की सही समीक्षा न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसकी क्षतिपूर्ति नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

(2) उपरोक्त कार्य के विस्तार हेतु अधीक्षण अभियन्ता (S.E.) द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अतः बिना स्वीकृति के संविदाकार को भुगतान करने औचित्य स्पष्ट करें।

14 ₹160786/—का संविदाकार को अनियमित एवं सम्भावित अधिक भुगतानः—

कार्य का नाम C/O High school under RMSA SH: C/O Block of 2 Nos Class room in chilli, Distt, Chamba

संविदाकार का नाम श्री अमरप्रीत

अनुमानित राशि ₹3506694 vide letter No. HIMUDA/CE(DB) RMSA/10-Vol-VIII dt 23.05.11

आंबटित कार्य राशि ₹4267468/- vide letter No. HIMUDA/DD/CB/w-7/2012/-3574-82 dated 23.07.12 Civil 4205534/- (20.54% above HPSR-2009)

WS & SI 61934 (231.7% above)

न्याय संगत दरें Civil 21.03% above

WS & SI 238-41 % above

वाऊचर संख्या 113 ऑफ 03/2014

अनुबन्ध संख्या 15 ऑफ 2012—13

चलित बिल चतुर्थ चलित बिल

माप पुस्तिका 1687, 1688

उपरोक्त कार्य के चतुर्थ चलित बिल की जाँच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गईः—

(क) न्यायसंगत दरों से अधिक दरो ंपर भुगतान करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹112629/— का अनुचित लाभः—

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदो ंकी दरें न्याय संगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरो ंको कम करने के लिए समझौता वार्ता की जानी अपेक्षित थी। लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹112629/— का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि निम्न मदो की दरों को कम करने के लिए नेगोशिएसन क्यों नहीं की गई थी अन्यथा इसका दायित्व

निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदो ंका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**मद संख्या**	**अनुमानित मात्रा**	**न्यायसंगत दरें (₹)**	**भुगतान की दरें (₹)**	**अनुचित लाभ (₹)**
1	Cutting in earth work	1438.74m3	144.30	160	22588
2	Providing for steel reinforcement for RCC work	17431.20Kg	41.05	43	33991
3	P/ F 40MM thick 2nd class deodar wood	99.94 m3	2378.25	2400	2174
4	P/F wire gange shutter	98.62m2	2078.20	2100	2150
5	Kotu stone slab flooring	23.40m2	1125	1200	1755
6	Kota stone slab 25mm	10.20m2	1223.90	1300	776
7	Painting on new wood with white enamel paint	495.98m2	49.40	60	5257
8	6MM cement plaster	395.05m2	73.20	90	6637
9	15 MM cement plaster	530.98m2	116.10	150	18000
10	20MM cement plaster	530.98m2	153.65	190	19301
				कुल राशि	**112629**

(ख) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडिनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹48157/– की वित्तीय हानिः–

उपरोक्त कार्य के निष्पदन के दौरान चतुर्थ चलित बिल तक अनुबन्धित मद "Cutting in earth work" में 1152.93m3 मिट्टी की खुदाई हेतु ₹184469/– का भुगतान संविदाकार

को किया गया था। जाँच में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10**%** भाग आर्डिनरी क्वारिड स्टोन/पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 1152. 93एम3 का 10**%** भाग जो 115घन मीटर बनता है। अतः विभाग को निमन विवरणानुसार हानि हुई हैः–

एच0पी0एस0आर0 2009 के अनुसार आर्डिनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/– प्रति घन मीटर, ओवरऑल प्रीमियम 20.54% asbove

कुल दर प्रति घन मीटर 350+20.54% above=421.89

इस प्रकार 115 घन मीटर पत्थरो ंका कुल मूल्य 115X421.89=₹48517 की वित्तीय हानि हुई है जिस सम्बन्धत में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एंव उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

15 ₹57935/–का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य का नाम Additional Ateration of indoor stadium at dharamshala (SH: C/O Additional hall, meeting Room, Gymnesium office and warden Room)

अनुमानित राशि ₹755042/– vide letter No. HIMUDA/DB) indoor stadium Dhamshala Div/04-Vol-II dated 10.06.09

संविदाकार का नाम श्री पवन काजल

चलित बिल द्वितीय एवं अन्तिम बिल

आंबटित कार्य राशि ₹1375909/– vide award letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/5183-88 dated 06.10.09 on 82.22% above HPSR-1999

न्यायसंगत दरें 85.54% above HPSR-1999

माप पुस्किा 1455, 1461

वाउचर संख्या 5 of 03/2014 aggrement No. of 2009-10

(क) समझौतावर्ता (Negotiation) न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹57935/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित मदो की दरें न्यायसंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरों को कम करने के लिए Negotiation की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹57935/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये कि निम्न मदों को कम करने के लिए नेगोशिएसन किस आधार पर नहीं की गई थी अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद संख्या	निष्पादित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
1	Brick work using 2nd class commion brunt clay building en संख्या 6	43.17m	₹3050.25 per m3	₹3130 per m3	₹3443
2	P/F 40MM thick 2nd Class deodar wood मद संख्या 8	46.83m3	₹1496.90	₹1600	₹4828
3	P/F Pressed steel door frames मद संख्या 23	439.50Rmtr	₹300	₹187	₹49664
					₹57935

एवं जाँच में पाया गया कि जिन मदों की दरों में नेगोशिएसन की गई थी उन मदों की अनुमान से कम मात्रा कार्य में प्रयोग की गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर ऐसी मदो ंकी दरें कम की गई थी जिनका प्रयोग वास्तव में कम किया जाना था एवं ऐसा करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था क्योंकि यदि इसकी अपेक्षा उपरोक्त

वर्णित मदो ंकी दरो ंकी नेगोशिएसन की जानी तो कम से कम ₹57'935/– की बचत की जासकती थी। जिन मदों में विचलन ऋणात्मक था, उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद संख्या	निष्पादित मात्रा	अनुमानित मात्रा	आंबटित दरें	विचलन (₹)
1	मद संख्या 9 P/F wire gange shutter	38.23m2	108.21m2	₹1500/- p.m2	104970
2	मद संख्या 11 (d) P/F anodized aluminium tender bolt	Nil	349 nos	₹40/- each	13960
3	मद संख्या 18 P/F 19 MM rhick black board shutter	19.64m2	52.02 m2	₹600/- per m2	19428
4	मद संख्या 19 P/F 19MM thick black board shelter	64.70m2	80.82 m2	₹700 per m2	11284
5	मद संख्या 21 Linolium covering to floor, pain or coloured laid	332.02m2	366m67m2	₹700 per m2	24255
6	मद संख्या 22 P/F Pressed steel door frame	439.50Rmtr	550.19 rmter	₹300 per Rmtr	33207

अतः उपरोक्त मदों में भारी विचलन बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

16 ₹940/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

कार्य का नाम Proposed Addition in Govt. Sr. Sec. School at Dagoh, Distt Kangra

(SH C/O Principal Room and 5 Nos Class Room)

अनुमानित राशि ₹1424991/– vide letter No. HIMUDA/SE(N) D/Shala/DB/School work/12-872 dated 19.07.13

आंबटित कार्य राशि ₹1564489.58 vide award letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2012-4952-59 dated 27.11.13 on 9.79% above HPSR-2009

संविदाकार का नाम श्री होशियारपुर सिंह राणा

चलित बिल प्रथम चलित बिल

वाउचर संख्या 141 ऑफ 03/2014

अनुबन्ध संख्या 18 ऑफ 2013–14

माप पुस्तिका 1647

न्यायसंगत दरें 30.10% above HPSR-2009

(क) अनुबन्धित मदों का निष्पादन न करने बारेः–

जाँच मे ंपाया कि संविदाकार ने अपने टैण्डर में निम्नलिखित मदो ंकी दरें अत्याधिक भरी थी लेकिन इनका निष्पादन नहीं किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को भलीभान्ति जानकारी थी कि इन मदों का निष्पादन वास्तव में नहीं किया जाना था। अतः उसने इन मदों की दरें अत्याधिक कम भरी ताकि कार्य का आंबटन उसी के पक्ष में किया जा सके। इस प्रकार संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा कार्य की आवश्यकता के अनुसार इन मदो ंका निष्पादन इन्हीं दरो ंपर करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये। मदो का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद संख्या	अनुमानित मात्रा	अनुमानित दरें एचपीएसआर–2009	न्यायसंगत दरें	आंबटित दरें
1	मद संख्या 1 earth work filling in plinth with sand	30.04m3	₹580.70 per m3	₹1864.55 per m3	₹10 per m3
2	मद संख्या 4 P/L CC : Reinforced concrete m.chajjas:	14.61m3	₹14476 per m3	₹11045 per m3	₹10 per m3

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹940/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य में प्रोवाईडिंग वी0एम0टी0 स्टील रिईजफोर्समेन्ट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया कि 8 एम0एम0टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि सही गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। निम्न विवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 16.20 कि0ग्रा0 स्टील की अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹58/– प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹940/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1647/57	542-80x0-395=214-41Kg	542.80x0.39=211.69Kg	2.72 कि0ग्रा0
1647/60	2695-75x0.395=1064-82KG	2695.75x0.39=1051.34Kg	13.48कि0ग्रा0
		कुलमात्रा	**16.20कि0ग्रा0**

17 संविदाकार को ₹1604165/–का अनयमित भुगतानः–

कार्य का नाम C/O Sub jail at Una

संविदाकार का नाम श्री विशाल शर्मा

अनुबन्ध संख्या 19 ऑफ 2008–09

आंबटित कार्य राशि ₹16041651/– vide award letter No. DD/CB/HIMUDA/W-7/2005/7776-82 dated 24.02.06 Civil 13526455 (39.48% above HPSR-1999)

Metaling & Tarring work 1387787/- (52.87 % above)

माप पुस्तिका 1724, 1708, 1567, 1402, 1728, 1400, 1399, 1515

(क) अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप ₹1604165/– की आर्थिक हानिः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु स्थान का चयन करके दिनाँक 22.07.08 को संविदाकार के सपुर्द किया गया था एवं कार्य को पूर्ण करने के लिए दिनाँक 22.07.09 तक का समय दिया गया था लेकिन संविदाकार द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार समय पर कार्य का पूर्ण समापन नहीं किया गया तथा हिमुडा के अधिकारियों द्वारा संविदाकार के पक्ष में समय–2 पर कार्य विस्तार की अनुमति दे कर अनुबन्ध की क्लॉज 10 सीसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया क्योंकि यदि संविदाकार द्वारा तय अवधि में कार्य पूर्ण कर दिया होता तो एक तो क्लॉज 10 सीसी के अन्तर्गत दिनाँक 22.7.09 के पश्चात उक्त निर्माण कार्य पर ₹4271823/– की क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती एवं सम्बन्धित विभाग निर्मित भवन का समुचित उपयोग कर सकता था। अतः संविदाकार के पक्ष में कार्य विस्तार देकर क्लॉज 10सीसी के अन्तर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति देने का औचित्य स्पष्ट करें।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य में अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अनुबन्ध की क्लॉज–2 में दिए गये प्रावधान के अनुसार यदि संविदाकार आंबटित समय में कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो अनुमानित टैण्डर राशि का 10**%** भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था अर्थात उक्त कार्य की टैण्डर राशि ₹18041651/– का 10**%** जो ₹1604165/– बनता है परन्तु हिमुडा के मण्डल धर्मशाला द्वारा अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया व हिमुडा को इस प्रकार ₹1604165/– की सम्भावित हानि हुई है जिस सन्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनाँक 05.01.15 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः अब अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹1604165/– की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(ख) अनुबन्ध की क्लॉज–10सीसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना करने सम्बन्धितः–

जांच में पाया कि अनुबन्ध की क्लॉज–10सीसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना उपरोक्त कार्य के विभिन्न चलित बिलों के भुगतान की अवधि के आधार पर Quarter मान कर की गई थी जबकि नियमानुसार 10 सीसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना चलित बिलों में वर्णित विभिन्न मदों के संचालन (Execution) की अवधि के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः इसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनाँक 05.01.15 द्वरा अधिशासी अभियन्ता को दी गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त कार्य की अनुबन्ध की क्लॉज 10 सीसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना नियमानुसार करके संविदाकार को भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं यदि संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

18 ₹806/– का श्री प्रदीप कुमार जसवाल (कनिष्ठ अभियन्ता) को यात्रा भत्ते दावे के रूप में अधिक भुगतानः–

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C) B (7)-1/2009 dated 19.6.2012 के पैरा–4 (5) के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किए गये समय के लिए साधारण दर पर दैनिक भत्ता देय है जबकि समायोजित वाउचर संख्या 13 माह 03/2014 की जाँच के दौरान पाया कि श्री प्रदीप कुमार जसवाल (कनिष्ठ अभियन्ता) को निम्न विवरणानुसार ₹806/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके मण्डल के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) माह 07/2013, मुख्य कार्यालय नूरपूर

दिनाँक	यात्रा का विवरण	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान	अधिक भुगतान
02.07.13	Nurpur to Dharamshala & back (10AM) (6PM)	70% of 160 ₹122	70% of 72 ₹50	62
05.7.13	Nurpur to Dharamshala & back	112	50	62

दिनाँक	यात्रा का विवरण	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान	अधिक भुगतान
	(10:30AM) (7:30PM)			
10.7.13	Nurpur to Dharamshala & back(10:30AM) (7:30PM)	112	50	62
17.7.13	Nurpur to Dadasiba & back (10:30 AM) (7:30 PM)	112	50	62
22.7.13	Nurpur to Dadasiba & back (10:30 AM) (7:30 PM)	112	50	62
29.7.13	Nurpur to Dharamshala & back (10AM) (6PM)	112	50	62
31.7.13	Nurpur to Dharamshala & back (10AM) (6:30PM)	112	50	62
		अधिक भुगतान		**434**

(ख) माह 08/13 मुख्य कार्यालय धर्मशाला

दिनाँक	यात्रा का विवरण	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान	अधिक भुगतान
7.8.13		112	50	62
12.8.13	Dharamshala to Nurpur & back (10:30 AM) (7PM)	112	50	62
17.8.13	Dharamshala to Dadasiba & back (10:30 AM) (7PM)	112	50	62
21.8.13	Dharamshala to Jawali & back (10:30 AM) (7PM)	112	50	62
26.8.13	Dharamshala to Dadasiba & back (10:30 AM) (8 PM)	112	50	62
31.8.13	Dharamshala to Dadasiba & back (10:30 AM) (8PM)	112	50	62
		अधिक भुगतान		**372**

उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में इस प्रकार के अनियमित भुगतान की गणना अपने स्त्तर पर करके वसूलियाँ करना सुनिश्चित करें।

19 बही खातों के योग की गलत गणना करने के सम्बन्ध मेंः–

जाँच के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न खातों का योग गलत पाया गया। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि वही खातों के गलत योगों से दिनाँक 31.03.14 को विभिन्न खातों के अन्तिम शेषों से तैयार किए गये तलपट का मिलान कैसे किया गया था एवं इनका सुधार तलपट के मिलान के दौरान क्यों नहीं किया गया था। अतः वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। वही खातों के गलत योगों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	बही खाता	पृष्ठ सं0	बही खाते का गलत योग	बही खाते का वास्तविक योग
05/13	Earnest Money Security	15	225526 (Credit Balance)	221761
11/13	Earnest Money/Security	27	96154 (Credit Balance)	96145
05/13	Establishment Exps.	100	108866 (Credit Balance)	81866
06/13	Misc. Exps	149	14160 (Debit Balance)	14180

20 अंशदान भविष्य निधि (CPF) से सम्बन्धित वाउचरो का इन्द्राज Staff Advance खाते में करने बारेः–

जाँच में पाया कि माह 06/2013 में निम्नलिखित वाउचरों द्वारा विभिन्न कर्मचारियो द्वारा अपने CPF खातों से ₹190000/– की राशि आहरित की गई एवं इस राशि का इन्द्राज सम्बन्धित कर्मचारी के Staff Advance खाते के Debit side (पृष्ठ संख्या 71) में कर दिया गया जबकि इसकी प्रविष्टि CPF Advance के खाते में की जानी अपेक्षित थी। अतः इस त्रुटि का समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

वाउचर संख्या	अंशदान भविष्य निधि से आहरित राशि (₹)
वाउचर संख्या 54/06–2013	50000
वाउचर संख्या 55/06–2013	50000
वाउचर संख्या 56/06–2013	60000
वाउचर संख्या 57/06–2013	30000
कुल राशि	**190000**

21 ₹6781778/– की धरोहर राशि को CPWD work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार मण्डल की आय में लेखाकिंत न करनाः–

धरोहर राशि के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्यों की धरोहर राशि के रूप में ₹6781778/– भुगतान हेतु वर्ष 1984 से वर्ष 2011 तक धर्मशाला मण्डल के खाते में शेष है। अतः यह राशि अब CPWD Work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार लौटाने योग्य नहीं है। नियमानुसार किसी कार्य को पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि को वापिस लेने का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस राशि को Lapsed Security Deposit मानकर उस संस्था की आय मान ली जाती है। अतः इस राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार, मण्डल की आय में लेखाकिंत न किया जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। पूर्ण ब्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" में दिया गया है।

22 संविदाकारों को जारी स्टॉक से सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर लैजर का रख रखाव न करने बारेः–

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्य हेतु समय–2 पर स्टॉक/भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी परन्तु उक्त सामग्री के मूल्य सम्बन्धित प्रविष्टि संविदाकार के खातों में लेखाकिंत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ परिशिष्ट "झ" में दिए गये है जिनमें जारी की गई निर्माण सामग्री के मूल्य सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखाकिंत नहीं किया है जिससे किसी भी संविदाकार को अधिक एवं अनुचित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि जारी की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज सम्बन्धित लैजर में किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होता है। अतः जारी की गई निर्माण सामग्री का कन्ट्रैक्टर लैजर में इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है व मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है एवं वर्ष 2013–14 में जारी निर्माण सामग्री को कन्ट्रैक्टर लेजर में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

23 मैसर्ज सूद स्टील इन्डस्ट्री को ₹158093/– का अनुचित/अनियमित भुगतानः–

वाउचर संख्या 101, 102 एवं 103 माह 03/2014 के तहत परफोर्मा बिलों पर ₹158093/– का वैट के रूप में मैसर्ज सूद इन्डस्ट्री को भुगतान किया गया था जबकि परफोर्मा बिल पर विक्रेता वैट की राशि चार्ज नहीं कर सकता था। अतः निम्नलिखित क्रय में ₹158093/– का भुगतान वैट के रूप में किया गया था जोकि न्याय संगत नहीं है। अतः विक्रेता से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति का अधिकृत बिल लेना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹158093/– की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। क्रय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	परफोर्मा बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
Vr. No. 101 of 03/2014	Performa Bill No. Nil dated 19.02.14 M/S Sood Steel industries Kandrori, Indora	25MM Steel	
		18 M.T. @ ₹46850 PMT	843300
		Vat @ 5%	42165
		AGTC ₹75 PMT	1350
			886815
		Less already paid on 12/12	780030
			106785
Vr.No. 102 of 03/2014	Performa Bill No. Nil dated 19.02.14 M/S Sood steel industries Kandrori, Indora	8MM 12M.T. @ ₹51350 P.M.T	616200
		10MM 6M.T. @ ₹50350 P.M.T	302100
		16MM 9M.T. @ ₹49850 P.M.T	448650
			1366950
		Vat @ 5%	68348
		AGTC ₹75 PMT	2025
			1437323
		Less already paid on 07/12	1195245
			242078
Vr. No. 103 of 03/2014	Perfoma Bill No. Nil dated 20.02.14 M/S Sood Steel	8MM 6M.T. @ ₹46000 P.M.T	276000

industries Kandrori, Indora		
	10MM 2M.T. @ ₹45300 P.M.T	90600
	16MM 8M.T. @ ₹45000 P.M.T	360000
	20MM 5MT @ ₹45000 PMT	225000
		951600
	Vat @ 5%	47580
	AGTC ₹75 PMT	1575
		1000755

24 बिना औपचारिकता पूर्ण किये ₹55645/– का सामान क्रय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम–97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के खर्चों की जाँच करने पर पाया कि मण्डल द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था। यदि सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इन व्ययों को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। इसके अतिरिक्त चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में इस प्रकार के प्रकरणों की जाँच अपने स्त्तर पर करके अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार निविदाएं आमन्त्रित करके न्यूनतम दरों पर क्रय करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	वा0सं0	माप पुस्तिका	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	Adjustment Vr. No. 3 of 03/2014	MB-1718 P-35	Bill No. 707, Dt. 13.12.13 M/S Anil painter, Kangra	Inangration plate	12000
2	-do-	-do-	Bill No. 485 dt. 14.12.13	250 Har @ 30 each 8	9900

			M/S Pawan flower Decorator	Bouque @ ₹300 each	
3	-do-	MB-1718 P-36	Bill No. 257 dt 13.12.13 M/S Karam Chand, Duni Chand & Sons	Confectionary Material	3305
4	Adjustment Vr. No. 3 of 03/2014	MB 1718 P: 37	Bill No. 205 dated 14.12.13 M/S Vikrant Music house Alampur	Sound system	3500
5	Adjestment Vr. No. 4 of 03/2014	MB 1646 P: 45	Bill No. 245 dt 14.12.13 M/S Surinder Tent house	Tent Material	16390
6	-do-	MB 1646 P: 46	Bill No. 0042 dt. 14.12.13 M/S Sai Light & Tent House	Tea, Sweets etc	10550
				Total	**55645**

25 ₹10500/– का अनियमित भुगतानः–

वाउचर संख्या 72 माह 03/2014 की जाँच के दौरान पाया कि मै0 एस0एस0 ईन्जिीनियर वर्क, ऊना के परफोर्मा बिल दिनाँक 16.9.13 द्वारा एक MEI Make star Delta Starter 30HP ₹10500/– का क्रय न्यूनतम निविदा के आधार पर किया गया था। जाँच में पाया कि क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जारी नहीं किया गया था एवं मण्डल द्वारा

आपूर्तिकर्ता की निविदा जोकि आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 16.9.13 को प्रस्तुत की थी, के आधार पर ही सामग्री की भण्डार प्रविष्टियाँ करके चैक संख्या 330728 दिनाँक 13.3.14 द्वारा भुगतान कर दिया गया जबकि माल की आपूर्ति हेतु स्वीकृति एवं आपूर्ति आदेश पत्र संख्या HIMUDA/DD/CB/S-24/2012/4286-87 दिनाँक 04.11.13 द्वारा दिया गया था एवं भुगतान की पावती भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु आगामी लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 धरोहर राशि के रजिस्टर का उचित तरीके से रख रखाव न करने बारेः–

चयनित माह 03/2014 के विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच के दौरान पाया कि विभिन्न संविदाकारों के विभिन्न चलित/अन्तिम बिलों से धरोहर राशि की वसूली की गई थी लेकिन इस राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में धरोहर राशि का संविदाकार को दोहरा/अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। विभिन्न निर्माण कार्यों के चलित बिलों से वसूली गई धरोहर राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	कार्य का नाम	चलित बिल	धरोहर राशि (₹)
141 ऑफ 03/2014	Proposed Addition in GSSS at Dagoh Distt. Kangra (SH: C/O Principal Room and 5 Nos Class Room)	प्रथम चलित बिल	23270
85 ऑफ 03/2014	C/O Civil work of ITI upgradation into centre of Excellence world Bank at Bangan	प्रथम चलित बिल	18234
113 ऑफ 03/2014	C/O High School under RMSA (SH: C/O Block of 2 Nos Class Room in chilli, Chamba	चतुर्थ चलित बिल	25512

115 ऑफ 03/2014	C/O HRTC work Shop in Tadoli, Chamba	चतुर्थ चलित बिल	19830

अतः चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में निर्माण कार्यों के विभिन्न चलित बिलों से वसूली गई धरोहर राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ताकि धरोहर राशि का भुगतान नियमों के अनुसार ही किया जा सके। अतः अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

27 सेवा पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमुडा मण्डल धर्मशाला में कार्यरत्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 437 दिनाँक 10.11.14 एवं 466 दिनाँक 09.12.14 द्वारा अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान केवल 30 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई गई जबकि मण्डल के अभिलेखानुसार मण्डल में 83 सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–23 के अनुसार भी सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जोकि एक गम्भीर आपत्ति है। अतः निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं आगामी अंकेक्षण में समस्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री वकशीश सिंह	ड्राफ्ट मैन
2	श्री राकेश कुमार	लिपिक
3	श्री उमेश कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
4	श्री विरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
5	श्री जितेन्द्र पुरी	कनिष्ठ अभियन्ता
6	श्री अजय सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
7	श्री कैलाश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता
8	श्री रमेश कुमार	चालक

9	श्रीमती बंदना कटोच	वरिष्ठ सहायक
10	श्री माधो राम	लिपिक
11	श्री कुलवीर सिंह	चपड़ासी
12	श्री बिशन दास	सफाई कर्मचारी
13	श्री पवन कुमार	बेलदार
14	श्री सुखदेव सिंह	सुपरवाईजर
15	श्री पवन कुमार शर्मा	चौकीदार
16	श्री संजय कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
17	श्री राकेश कुमार	चौकीदार
18	श्री अनूप सूद	कनिष्ठ अभियन्ता
19	श्री प्रदीप जसवाल	कनिष्ठ अभियन्ता
20	श्री विपन कुमार शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
21	श्री राज कुमार	बेलदार
22	श्री राजीव कुमार	कार्य निरीक्षक
23	श्रीमती लक्ष्मी देवी	सफाई कर्मचारी
24	श्री दिनेश कुमार	बेलदार
25	श्री चमन लाल	बेलदार
26	श्री केष राज	बेलदार
27	श्री बिहारी लाल	बेलदार
28	श्री रमेश चन्द	बेलदार
29	श्री भीम राज	बेलदार
30	श्री हरि कृष्ण शर्मा	वरिष्ठ सहायक

28 वाहन में 442 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शानाः—

वाहन संख्या एच0पी0 39 ए—7281 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया कि अवधि 04/2013 से 03/2014 तक डीजल की खपत 6.97 से 7.28 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से की गई थी जबकि प्रमाणिक एजेन्सी द्वारा मार्च 2008 में इस वाहन की औसत 8 कि0मी0 प्रति

लीटर प्रमाणित की गई थी। इस प्रकार 442 लीटर डीजल की अधिक खपत वर्ष 2013–14 में की गई थी। इसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

Opening Meter reading on 01.04.13	197444 Kms
Closing Meter reading on 31.03.14	225829 Kms
Total Kilometers covered by the Vehicle in 2013-14	28385Kms
Certified Average	8 Kms per Ltr
Certified Consumption of fuel	3548 Ltr.
Actual Consumption of fuel	3990 Ltr.
Excess Consumption of fuel	442 Ltr.

अतः अधिक खपत की गई डीजल की मात्रा 442 लीटर के बाजार मूल्य के बराबर उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डल के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

29 स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने बारेः–

जाँच में पाया कि धर्मशाला मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों में उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140 के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिससे सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप पालमपुर उपमण्डल के Stock A/C की जाँच के दौरान पाया कि Indenrt No. 2333 दिनाँक 02.11.13 द्वारा 20एमएम स्टील की 2 क्विंटल मात्रा श्री कुलदीप सोनी को कार्य "C/O New Pharmacy Paprola" हेतु जारी की गई थी लेकिन उपमण्डल के बिन कार्ड संख्या 419 में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाये कि उपरोक्त वर्णित 20एमए स्टील की 2क्विंटल मात्रा की प्रविष्टि सम्बन्धित बिन कार्ड में क्यों नहीं की गई थी एवं दिनाँक 31.3.14 को बिन कार्ड संख्या 419 में वर्णित 20एमएम स्टील की 31.24 क्विंटल की मात्रा को कैसे सत्यापित किया गया था। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें।

30 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :–** यह अलग से जारी नहीं की गई एवं अंकेक्षण के दौरान इनका समाधान कर दिया गया।

31 **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)119 / 88–खण्ड–17–2462–64,दिनांक–16.05.15, शिमला–09.

प्रतिलिपि :–

पंजीकृत :– (1) अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

(2) प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(3) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला–171002.

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) में सन्दर्भित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 8(1)(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(1)(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(1)(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 11(1)(1से 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(5)	अनिर्णीत

6	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(5)	अनिर्णीत

(च) (i) एस0डी0ए0 उपमण्डल धर्मशाला का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष (1996–1997)

1	पैरा 72(बी व सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 73(ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 74	अनिर्णीत
4	पैरा 75	अनिर्णीत
5	पैरा 76	अनिर्णीत
6	पैरा 77(क व ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 78	अनिर्णीत
8	पैरा 79	अनिर्णीत
9	पैरा 80	अनिर्णीत
10	पैरा 81	अनिर्णीत
11	पैरा 82	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 15(फ, व, भ, म, त झ, ञ)	अनिर्णीत
2	पैरा 33 (ख, ङ, च, ज, झ, ञ)	अनिर्णीत
3	पैरा 34(क, घ, ठ)	अनिर्णीत
4	पैरा 35(क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 36(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 37(क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 38	अनिर्णीत
8	पैरा 39	अनिर्णीत
9	पैरा 40	अनिर्णीत
10	पैरा 41(क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 42	अनिर्णीत
12	पैरा 43	अनिर्णीत
13	पैरा 44	अनिर्णीत
14	पैरा 45(क, ख, ग)	अनिर्णीत
15	पैरा 46(क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 47	अनिर्णीत
17	पैरा 48	अनिर्णीत
18	पैरा 49(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 50	अनिर्णीत
20	पैरा 51	अनिर्णीत
21	पैरा 52	अनिर्णीत
22	पैरा 53	अनिर्णीत
23	पैरा 54	अनिर्णीत
24	पैरा 55	अनिर्णीत

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 27	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत

(iv) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1	पैरा 54	अनिर्णीत
2	पैरा 55	अनिर्णीत
3	पैरा 56	अनिर्णीत
4	पैरा 57	अनिर्णीत
5	पैरा 58	अनिर्णीत
6	पैरा 59	अनिर्णीत
7	पैरा 60	अनिर्णीत
8	पैरा 61	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–26	अनिर्णीत
12	पैरा–27 (क) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–27 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–27 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–27 (क) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–28 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–29	अनिर्णीत
18	पैरा–30	अनिर्णीत
19	पैरा–32	अनिर्णीत
20	पैरा–33	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत

5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–4	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में प्रारूपित कर दी गई है।)
2	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 (क) में प्रारूपित कर दी गई है।)
3	पैरा–5 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 (ख) में प्रारूपित कर दी गई है।)
4	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 (क) में प्रारूपित कर दी गई है।)
6	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क)में प्रारूपित कर दी गई है।)
7	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है।)
8	पैरा–8 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है।)
9	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	

10	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(₹6912 की वसूली सम्बन्धित कार्य के छठे चलित बिल से माप पुस्तिका 1807/12 पृष्ठ 4 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
13	पैरा–10 (ग)	निर्णीत	(₹7409 की वसूली सम्बन्धित कार्य के छठे चलित बिल से माप पुस्तिका 1807/12 पृष्ठ 4 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
14	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–10 (ङ)	निर्णीत	(₹907 की वसूली सम्बन्धित कार्य के छठे चलित बिल से माप पुस्तिका 1807 पृष्ठ 4 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
16	पैरा–10 (च)	अनिर्णीत	
17	पैरा–10 (छ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–10 (ज)	अनिर्णीत	
19	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(₹4500 की वसूली सम्बन्धित कार्य के 12वें चलित बिल से माप पुस्तिका 1805/12 पृष्ठ 24 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
21	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	

26	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–14	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
37	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
38	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत
39	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–18	अनिर्णीत
42	पैरा–19	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा–4	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है।)
2	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में प्रारूपित कर दी गई है।)
3	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में प्रारूपित कर दी गई है।)
4	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 (क) में प्रारूपित कर दी गई है।)
5	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	

8	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क) में प्रारूपित कर दी गई है।)
9	पैरा–8 (ख)	निर्णीत	(पी0एस0एफ0 खनियारा की जल प्रभार की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया)
10	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (घ)	निर्णीत	(₹1370 की वसूली सम्बन्धित कार्य के 10वें चलित बिल से माप पुस्तिका 1642 पृष्ठ 63 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
16	पैरा–9 (ङ)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
17	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
18	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	
20	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा–12	अनिर्णीत	
25	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत	
28	पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत	
29	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	

30	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	
32	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा–14 (ङ)	अनिर्णीत	
34	पैरा–14 (च)	अनिर्णीत	
35	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	
38	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
40	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा–17 (ग)	अनिर्णीत	
42	पैरा–18	अनिर्णीत	
43	पैरा–19	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
44	पैरा–20	अनिर्णीत	
45	पैरा–21	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–21 में प्रारूपित कर दी गई है)
46	पैरा–22	अनिर्णीत	
47	पैरा–23	अनिर्णीत	
48	पैरा–24	अनिर्णीत	
49	पैरा–25	अनिर्णीत	
50	पैरा–26	अनिर्णीत	
51	पैरा–27	अनिर्णीत	